

## अभिभावकों के लिए सलाह (नियमावली)

1. विद्यालय को अभिभावकों के साथ एक सुचारू और सतत् संवाद की आवश्यकता है। इसके लिए सभी अभिभावकों को स्कूल प्रशासन के साथ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने होंगे। किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत स्कूल को सूचित करना होगा।
2. यदि उनका पाल्य किसी दवा का कोर्स कर रहा है या उसे किसी दवा/दवा से एलर्जी है, तो माता-पिता को स्कूल को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। विद्यालय अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी तरह की दवा कैडेट को नहीं दी जाएगी।
3. अभिभावकों को विद्यालय द्वारा जब भी बुलाया जाएगा, उनके लिए स्कूल में आना अति आवश्यक होगा, विशेषकर अनुशासनहीनता के मामलों में।
4. अभिभावकों को केवल निर्धारित पीटीएम दिनों के दौरान ही कक्षा शिक्षकों/हाउस मास्टर से मिलने की अनुमति होगी। हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में, स्कूल के शेड्यूल के आधार पर अन्य दिनों में भी अनुमति दी जा सकती है। पीटीएम/आउटपास के दिन के अलावा स्कूल में किसी भी प्रकार के भ्रमण के लिए, स्कूल से पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी भी परिस्थिति में अभिभावक स्कूल में अनिर्धारित यात्रा नहीं करेंगे।
5. स्कूल परिसर में बाहर से सभी प्रकार के खाने के पदार्थ लाना प्रतिबंधित है। माता-पिता को कैडेट को विद्यालय परिसर के अंदर ले जाने के लिए कोई भी खाने के पदार्थ देने से बचना चाहिए।
6. अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे छुट्टियों का उपयोग पढ़ाई के लिए भी करें, ताकि वे अपना गृहकार्य पूरा कर सकें।
7. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को छुट्टियों के बाद निर्धारित तिथि और समय पर स्कूल वापस भेजें। स्कूल के आदेशानुसार देरी से आने वाले सभी बच्चों को दंडित किया जाएगा।
8. अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल स्कूल को देय फीस निर्धारित तिथि से पहले जमा कर दी जाए। फीस न देने वालों के साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी नियम एवं विनियम 1997 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
9. स्कूल परिसर के अंदर मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है। यदि किसी कैडेट के पास ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं, तो स्कूल के आदेशानुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
10. कैडेट्स के अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अभिभावकों के लिए अपने पाल्य से हर दिन संवाद करना संभव नहीं है, केवल SPACS सिस्टम के माध्यम से निर्धारित दिनों में ही बात करने की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी परिस्थिति में माता-पिता को अपने बच्चे से बात करने के लिए हाउस मास्टर या वार्ड बॉय/वार्डन को फोन नहीं लगाना चाहिए। अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों या आपात स्थितियों में स्कूल माता-पिता और बच्चे के बीच आवश्यक संचार की सुविधा प्रदान करेगा।
11. अभिभावकों को कैडेटों को किसी भी प्रकार की नकदी (CASH) नहीं देनी चाहिए। ऐसी नकदी के खो जाने की स्थिति में स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

12. आउटपास - माता-पिता अपने बच्चों से मिल सकते हैं और महीने के हर तीसरे रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आउटपास का लाभ उठा सकते हैं। आउटपास पूरा होने के बाद माता-पिता को अपने बच्चों को वापस स्कूल छोड़ना होगा और किसी भी परिस्थिति में इसकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। स्कूल के पास कुछ परिस्थितियों जैसे कि जरूरी स्कूल कार्यक्रम, कैडेटों के अनुशासनहीनता के मामले आदि के कारण आउटपास रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। रात के आउटपास की अनुमति नहीं होगी।

13. अवकाश - अधिकृत स्कूल अवकाश और आपातकालीन स्थिति के अलावा कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। जो कैडेट पढ़ाई में कमजोर हैं और अनिवार्य आउटडोर टेस्ट में भी असफल हैं, उन्हें छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक आयोजनों, त्योहारों, पर्यटन, परीक्षाओं और अन्य व्यक्तिगत कारणों जैसे अवसरों के लिए कोई (छुट्टी) अवकाश नहीं दिया जाएगा। कैडेटों की छुट्टी के मामले में निम्नलिखित आपातकालीन आधार हैं:-

(a) चिकित्सा छुट्टी - यदि कैडेट किसी ऐसी स्थिति से पीड़ित है जिसके कारण उसे घर पर रहना आवश्यक हो, तो स्कूल चिकित्सा अधिकारी या नर्सिंग सहायक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(b) किसी करीबी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु - कैडेट को परिवार के किसी करीबी सदस्य की मृत्यु होने पर छुट्टी दी जा सकती है।

(c) शादी - कैडेट को अपने सगे भाई/बहन के विवाह समारोह के अवसर पर छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन केवल सगे भाई/बहन के लिए।

(d) विशिष्ट दया प्रावधान आधार - कैडेट को प्राचार्य के विवेकानुसार, दयालुता एवं विशेष अनुकंपा के आधार पर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

14. अभिभावकों को अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए स्कूल आने से बचना चाहिए।

15. अभिभावकों को शिक्षकों, हाउस मास्टर आदि सहित स्कूल अधिकारियों को अनावश्यक फोन कॉल करने से बचना चाहिए। संवाद की सीधी लाइन स्कूल ऐप या ईमेल के माध्यम से होगी। किसी भी परिस्थिति में, अभिभावकों को किसी भी वार्ड बॉय या वार्डन या किसी अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारी के साथ बातचीत में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रख्यापित (निर्धारित) चैनल के माध्यम से आने वाले सभी वास्तविक अनुरोधों को यथासंभव स्वीकर किया जाएगा।

16. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। सभी चिंताओं को निर्वाचित अभिभावक सदस्य के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

17. सभी अभिभावकों को यह नियमावली अपने पास रखनी चाहिए और स्कूल में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए इसका पालन करना चाहिए।

(प्राचार्य)